राजस्थान विधान सभा

प्रथम बैठक, सोमवार, दिनांक ५ मार्च, सन् १९५६ ई०

विधान सभा की बैठक सायं ४ बज कर १० मिनट पर प्रारम्भ हुई।

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(श्रीमन् राजप्रमुख ने सायं ४ बज कर १२ मिनट पर उद्घाटन भाषण पढ़ना प्रारम्भ किया)

श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यगण,

मैं आपका विधान सभा के इस सत्र में स्वागत करता हूं।

मुझे यह कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि यह वर्ष कई दृष्टियों से बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। सारे देश में आर्थिक और सामाजिक विकास की चेतना तेजी के साथ बढ़ रही है और उसके साथ साथ हमारे उद्देश्य भी स्पष्ट होते जा रहे हैं।

हम चाहते हैं कि देश में समाजवादी आधार (Socialist Pattern) पर रचना हो और उस ख्याल से अखिल भारतीय योजना आयोग (Planning Commission) ने जो योजना तैयार की है उसमें राजस्थान को भी इस बार उचित धन राशि प्राप्त हुई है। जो धन राशि अब तक स्वीकृत की जा चुकी है उसके अलावा भी हमें आशा है कि कुछ योजनाओं पर और धन राशि राजस्थान को प्राप्त होगी।

आज राजस्थान पिछड़ा हुआ समझा जाता है लेकिन जिस तेजी के साथ इस वर्ष कार्य चला है और उसमें जिस प्रकार जनता ने सहयोग दिया है उसको देख कर यह आशा होती है कि आगामी पांच वर्षों में राजस्थान काफी तरक्की कर लेगा। राजस्थान में प्राकृतिक पदार्थों की कमी नहीं है, लेकिन आवागमन के साधनों की कमी, सस्ती बिजली का अभाव और पानी की कमी के कारण बहुत सा विकास नहीं हो पाया है। अगली पांचसाला योजना से ये बहुत से अभाव काफी मात्रा में दूर हो जायेंगे और हमारे यहाँ के लोगों को भी काफी काम मिलेगा व देश समृद्ध होगा। अगली पंचवर्षीय योजना राजस्थान के सुन्दर भविष्य के निर्माण के लिए सुदृढ़ नींव साबित होगी।

यहां मैं यह भी कह देना उचित समझता हूँ कि जहां हमें जो धन राशि अगली योजना के लिये मिल रही है उससे प्रसन्नता है वहाँ राजस्थान के लोगों को जो आर्थिक जिम्मेदारी उन पर आने वाली है उसके लिये भी अपने आपको तैयार करना है। हमें तकलीफ उठा कर भी अपने राज्य का निर्माण करना है, जिससे आगे उसका स्थायी लाभ हमें मिल सके।

[श्रीमन् राजप्रमुख]

इस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग (States Re-organisation Commission) ने राजस्थान के लिये जो सिफारिशें की है उस पर इस सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है और सबने उस पर प्रसन्नता जाहिर की है। अब आपके सामने इस सम्बन्ध में बिल आयेगा, मुझे आशा है कि आप लोग उस पर गम्भीरता से विचार करके अपनी राय ज़ाहिर करेंगे। राजस्थान इस बारे में सौभाग्यशाली है कि इसका किसी भी भाषा वाले राज्य से या व्यक्तियों से मतभेद नहीं है और जो कुछ राजस्थान को निर्णय करना है वह देश और आम लोगों के हित को सामने रख कर करना है।

राज्य में कानून और व्यवस्था की हालत ठीक होती जा रही है। इस वर्ष में कुल अपराधों की संख्या १७,७८२ रही है जब कि १९५४ में १९,५५३ व १९५३ में २२,०५४ थी। यह कमी डकैती, चोरियों और लूटमार में हुई है। पुलिस कर्मचारियों ने अपनी मुस्तैदी व होशियारी से इस अवधि में कई कुख्यात डाकू मारे या पकड़े और इस प्रकार लोगों को उनके आतंक से मुक्त किया। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग को आधुनिक ढंग के अन्य साधनों से सजाया जा रहा है और अपराधों की रोक-थाम व पकड़ने में नये नये ढंग काम में लिए जा रहे हैं।

सरकार ने यह निश्चय किया है कि डाकुओं के साथ मुठभेड़ में मारे जाने वाले कर्मचारियों को जो वेतन व भत्ता उनके मरने के वक्त मिलता था वह उनके परिवार को ग्रेचुइटी (Gratuity) के अलावा उस समय तक मिलता रहेगा जिस समय तक मरने वाला कर्मचारी राज सेवा से विश्राम लेता। उसके बाद भी उसके परिवार को उदार कम्पैशनेट पैन्शन (Compassionate Pension) मिलती रहेगी। ये नियम देश में शायद सबसे अधिक उदार हैं।

इस वर्ष १६ राष्ट्रीय विस्तार खण्ड नये खोले गये जिससे राजस्थान में इस वक्त ३१ विस्तार सेवा खण्ड (National Extension Service Blocks) व १५ सामुदायिक विकास खण्ड (Community Development Blocks) कार्य कर रहे हैं। इन खंडों पर चल रहे बहुमुखी कार्यों से राज्य की एक चौथाई जनता व क्षेत्र को लाभ पहुंच रहा है और इस विकास-कार्य का निरन्तर प्रसार होता जा रहा है। केवल मई सन् १९५५ के आयोजित श्रमदान में सार्वजनिक योगदान का मूल्य लगभग ४९ लाख रुपये हुआ है इससे जनता की इस ओर रुचि का पर्याप्त प्रमाण मिलता है।

इस वर्ष वर्षा के अभाव के कारण २,२१९ गांवों में अभाव की स्थिति घोषित की गई और अब तक लगभग ३५ लाख रुपये राहत के कार्यों पर खर्च किये जा चुके हैं।

राज्य के चालू वर्ष में जो काम हुआ उसको मिलाकर लगभग एक लाख वर्ग मील क्षेत्र में बन्दोबस्त का कार्य पूरा हो चुका है।

इस वर्ष के अन्त तक ४,८५५ जागीरें जिनकी आय लगभग दो करोड़ रुपया है राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम (Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagirs Act) के अन्तर्गत ली जा चुकी हैं। इनमें अधिकतर वे जागीरें हैं जिनकी आय

[श्रीमन् राजप्रमुख]

एक हजार रुपये या इससे अधिक है। ली गई जागीरों की पुरानी बाकीयात वसूल कर उन्हें दी जा रही है एवं अन्तरिम पूर्ति की रकम भी पुनर्ग्रहण के छः महीने बाद बढ़ा दी गई है। राजस्थान में जागीर पुनर्ग्रहण का कार्य एक समझौते के आधार पर शुरू किया गया, लेकिन कुछ व्यक्तियों ने इस बारे में अशान्ति और भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया है। अशान्ति फैलाने या गैर कानूनी कार्रवाई करने से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि अगर कोई बात हो तो उसे शान्तिपूर्ण तरीके से बातचीत द्वारा ही हल करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त सरकार भूमि सम्बन्धी अन्य सुधारों के लिये भी पूर्ण जागरूक है। सरकार ने खेती की जमीन की सीमा निर्धारित करने के लिये जो कमेटी कायम की थी उसकी सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। इस वर्ष सरकार ने भूमि सम्बन्धित जितने कानून बनाये उनमें राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू बिल (Rajasthan Land Revenue Bill) जिसकी सदन ने हाल ही में स्वीकृत दी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि यह बिल जो शीघ्र ही एक्ट बन जायेगा राजस्थान में विलीन रियासतों के प्रचलित राजस्व नियमों को एक करने की योजना को पूरा कर देगा।

भूमि सुधारों के साथ ही साथ कृषि विकास और पशु पालन की ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया गया है। पैदावार बढ़ाने के लिये उत्तम बीज और रसायनिक तथा हरी खाद किसानों में बांटी जाती है। १२,००० एकड़ भूमि पर जापानी पद्धति से धान की खेती करने का लक्ष्य बनाया गया है और प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित १,६६,००० रुई की गांठों के उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया है। १,८६५ एकड़ भूमि को ट्रैक्टरों और बुलडोज़रों से खेती लायक बनाया गया जिससे पैदावार में लगभग १ लाख टन की वृद्धि होगी। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ६ लाख टन खाद्यान्न, १ लाख टन दालें, १.४४ लाख कपास की गांठें इत्यादि होने का अनुमान है। इस साल एक नया कृषि कालेज भी खोला गया जिससे द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ज़रूरियात पूरी हो सकेंगी।

कृषि के साथ ही साथ पशु पालन व पशु चिकित्सा में भी योजनाबद्ध प्रगति हो रही है। चार जगह पर जानवरों के अस्पतालों के लिये भवनों का निर्माण किया गया और बीकानेर में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए डाक्टरों के लिये संक्षिप्त पाठ्य-क्रम और दूसरी पारी (Second shift) की योजना चालू की गई। तीन चलते-फिरते पशु चिकित्सालय आरंभ किये गये। दूसरी पंचसाला योजना के अन्तर्गत राज्य में ७५ वेटेरीनरी डिस्पेन्सरियां, १५ ए० आई० केन्द्र (Artificial Insemination Centres), २ गौ सदन व १२ भेड़ पालन केन्द्र चालू होने की आशा है। डेरी विकास और मछली पालन विकास भी इसके साथ ही होगा। कृषि और ग्राम विकास पर दूसरी पंचवर्षीय योजना में ११. १० करोड़ रुपया खर्च किया जायगा जबकि पहिली योजना में केवल ४.७८ करोड़ रुपये का प्रावधान (Provision) था।

खेती की उन्नति के लिये आर्थिक साधनों की आवश्यकता होती है और इसके लिये

[श्रीमन् राजप्रमुख]
सहकारी समितियां (Co-operative Societies) बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई हैं। सहकारिता आन्दोलन का राजस्थान में विकास होता जा रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ६,२०० सहकारी समितियां स्थापित हो गई जो लक्ष्य से कहीं अधिक हैं।

सहकारी समितियों के आवश्यक ऋण के लिये एक शीर्ष बैंक (Apex Bank) व १० केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Co-operative Banks) कायम हो चुके हैं। कृषकों की उपज उचित भाव पर बाज़ार में बेचने के लिये केन्द्रीय सहकारी क्रय-विक्रय समितियां काम कर रही हैं और सामुदायिक योजना क्षेत्रों में बहुद्देशीय (Multi-purpose) समितियां संगठित हो रही हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन सब कार्यों को बढ़ावा देने के साथ ही साथ औद्योगिक धंधों को भी सहकारी आधार पर चलाने की योजना है। इस वर्ष रिज़र्व बैंक की ओर से ब्लाक डेवलपमैंण्ट ऑफीसर्स (Block Development Officers) की ट्रेनिंग के लिये कोटा में एक कालेज खोला गया है। इसमें आसपास के राज्यों के लोग भी ट्रेनिंग पायेंगे।

इस वर्ष राजस्थान में सिंचाई के साधनों को बढ़ाने की योजना संतोषप्रद रही। जवाई बांध का कार्य इस वर्ष करीब करीब संपूर्ण सा हो गया है। अब उस पर केवल १० लाख रुपयों की लागत का फाटकों (Flood Gates) का ही काम बाकी रह गया है जो वर्षा के पहिले पहिले पूर्ण हो जावेगा। इस वर्ष इस बांध द्वारा करीब २०,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो चुकी है। गंगानगर जिले में भाखरा नांगल योजना से आने वाली नहरों का कार्य भी प्रायः समाप्त होने आ रहा है। इस वर्ष करीब डेढ़ लाख एकड़ भूमि भी बरसाती बहाव से इस क्षेत्र में सींची गई। यह काम अगले डेढ़ वर्ष में संपूर्ण हो जावेगा और पांच लाख ७० हजार एकड़ भूमि सींचेगा।

चंबल घाटी योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने एक कन्ट्रोल बोर्ड की स्थापना करदी है जिससे इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने में योग मिले। कोटा के पास बेराज पर व दोनों दांई व बांई नहरों पर काफी चट्टान की कटाई कर दी गई है। मकानों व पुलियों का काम भी हाथ में ले लिया गया है। नहरों की मशीनों व श्रमिकों द्वारा खुदाई हो रही है। इस काम के लिये काफी मात्रा में मशीनरी मंगवा ली गई है और तीन अतिरिक्त डिविजनों की भी व्यवस्था कर दी है। चंबल योजना के अन्तर्गत योजना कमीशन ने राणा प्रताप सागर के काम को भी प्रथम खण्ड में ही बनवाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। इससे भी कुल सिंचाई चंबल योजना के अन्तर्गत दोनों राज्यों में १४ लाख एकड़ हो जावेगी।

राज्य में चल रहे अन्य सिंचाई के साधनों में कालीसिल, मोरेल, जग्गर व बांकली बंधों के काम करीब करीब पूरे हो गये हैं। पारवती, गुढा, मेजा, खारी, ओरा, कालीसिंध, परवन, गल्वा व मांसी के कार्य भी बरसात के पहिले पहिले खत्म होने की आशा है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्काल में बांधों पर राज्य सरकार कुल ७ करोड़ १४ लाख रुपये खर्च, चंबल व भाखरा योजनाओं को छोड़कर, करेगी। इन दो योजनाओं पर खर्चा ५ करोड़

[श्रीमन् राजप्रमुख]

७६ लाख रुपये अतिरिक्त होगा। राजस्थान बनने के समय से इन योजनाओं द्वारा १९५५-५६ तक साढ़े चार लाख एकड़ भूमि की प्रति वर्ष अतिरिक्त सिंचाई होगी। १९६१ में सिंचाई १५ लाख एकड़ और बढ़ जावेगी।

बांधों के अलावा सरकार ने छोटे छोटे सिंचाई के साधनों पर भी काफी ध्यान दिया है। इनके अन्तर्गत नये कुओं द्वारा अब तक करीब ५०,००० एकड़ अतिरिक्त सिंचाई हो सकी है। सन् १९६१ में इसके अतिरिक्त १ लाख एकड़ और भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यों में सिंचाई के कार्यों को विशेष स्थान प्रदान किया गया है। इसके अन्तर्गत करीब १२ करोड़ की लागत से छोटे कार्यों के अलावा बड़ी श्रेणी के व १३ मध्यम श्रेणी के कार्य होंगे। बड़ी श्रेणी के कार्यों में बनास नदी का बांध मुख्य होगा और सवा दो लाख एकड़ भूमि सींचेगा। राज्य का सिंचाई विभाग पश्चिम के रेगिस्तानी भाग के बीकानेर व जैसलमेर क्षेत्रों में भी सिंचाई की योजनाओं का सर्वे कर रहा है। इसी प्रकार पूर्व में भरतपुर क्षेत्र में भी जमुना नदी से सिंचाई करने की योजना की जांच कर रहा है।

यहां यह बताना उपयुक्त होगा कि इन बड़े सिंचाई कार्यों के पूरे होने से उनके अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में काफी समृद्धि बढ़ेगी। राज्य सरकार इसका कुछ भाग बैटरमेंट लेवी (Betterment Levy) नामक कर के रूप में वसूल करेगी जो रकम अन्य सुविधाओं को जनता में उपलब्ध करने में सहयोग देगी। यह कर उन क्षेत्रों में लगेगा जहां १,००० एकड़ व इससे अधिक भूमि किसी एक सिंचाई योजना द्वारा सिंचित होगी।

वन राज्य की समृद्धि का महत्वपूर्ण स्त्रोत है और राज्य सरकार वनों के विस्तार और संरक्षण की ओर पूरा पूरा ध्यान दे रही है। नये वृक्षों का लगाना, वनों की सीमा रेखांकन तथा बन्दोबस्त का कार्य निरन्तर चल रहा है। वन विभाग ने ३१० एकड़ भूमि को पानी के बहाव से बचाया है। जंगली पशु संरक्षण बोर्ड (Wild Life Preservation Board) ने वन जन्तु के संरक्षण के लिये स्थान निश्चित कर दिये हैं और शिकार संबंधी नियम भी तैयार हो चुके हैं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य में वनों के लिये १५ लाख ६८ हजार की राशि रखी गई है जिसमें ५ लाख ७० हजार रुपये वनों की सीमा-रेखांकन व बन्दोबस्त के लिये खर्च किये जावेंगे। आगामी वर्ष में लगभग ३,५०० एकड़ भूमि में वन विभाग द्वारा वृक्ष लगाये जायेंगे।

राज्य में औद्योगिक धंधों के विकास व उन्नति के लिये सरकार पूरा ध्यान दे रही है। राजस्थान में उपलब्ध खनिज सम्पत्ति देश में विशिष्ट स्थान रखती है और सरकार इस ओर की प्रगति के लिये जागरूक है।

गत वर्ष मैंने बताया था कि राज्य में जो रसायनिक खाद के लिये जरूरी कच्चा माल उपलब्ध है उसको देखते हुए उसकी एक फैक्ट्री राजस्थान में कायम करने के लिये भारत सरकार से

[श्रीमन् राजप्रमुख]

लिखा-पढ़ी चल रही है। अभी तक हमारी उस मांग पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। राजस्थान की इस बारे में मांग उचित है और आशा है कि भारत सरकार उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर शीघ्र ही लाभप्रद निर्णय देगी। हाथ कर्घा और ग्रामोद्योगों को भी काफी प्रोत्साहन दिया गया। हाथ कर्घा उद्योग के लिये अब तक ५,६८,६५७ रुपये स्वीकृत किये गये जिससे ६,१२० बुनकर परिवारों को फायदा पहुँचा। सरकार ने घरेलू व छोटे पैमाने के उद्योग धन्धों के ऋण के लिये एक लोन कमेटी नियुक्त की जिसने इस प्रकार के १३६ उद्योगों के लिये ६,७४,१०० रुपयों का ऋण स्वीकृत किया है व बड़े उद्योगों को लगभग ३ लाख रुपया दिया गया। ६०० नये उद्योगों को शुरू करने की स्वीकृति दी गई। इनके अतिरिक्त राज्य में विद्यमान बड़े उद्योगों, सूती मिल इत्यादि के विस्तार पर भी ध्यान दिया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा ध्येय एक रसायनिक फैक्ट्री, एक पाईलाट प्लाण्ट व एक लिथोफोन फैक्ट्री लगाने का है। निजी क्षेत्र (Private Sector) में ३ सीमेण्ट फैक्ट्री, १ फेल्ट का कारखाना, १ ऊनी मिल व शक्कर की फैक्ट्रियां कायम करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है।

खनिज प्रबन्ध में सुचारुता के लिये अप्रधान खनिज नियम (Minor Mineral Rules) बनाये जाकर लागू किये गये। राज्य में सीमेण्ट के पत्थर के जमावों (Deposits) की खोज की गई और अन्य स्थानों पर जिप्सम, तांबा, लोहा, कायनाइट, घीया पत्थर आदि खनिजों के जमावों की सर्वे की गई। खनिज विभाग के अधीन प्रयोगशाला की साज सज्जा व स्टाफ में विस्तार किया गया। पलाना में लिगनाइट की उत्पादन वृद्धि के लिये नया ढंग अपनाया गया व भीलवाड़ा में अभ्रक का पाउडर करने की मशीन व कोलायतजी पर मुलतानी मिट्टी के कारखाने स्थापित करने का निश्चय भी किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रोस्पेक्टिंग व खनिज सर्वे (Prospecting and Mineral Survey) का नियन्त्रित प्रोग्राम भी अधिक तत्परता से शुरू किया गया है।

राज्य सराकार श्रमिकों की आवश्यकता को पूरा करने और उनके हितों की रक्षा के लिये बराबर प्रयत्नशील है। राज्य में इस समय १० श्रम हितकारी केन्द्र कार्य कर रहे हैं जिन पर डेढ़ लाख रुपया प्रति वर्ष खर्च होता है। औद्योगिक मजदूरों के रहने के लिये जयपुर, भीलवाड़ा व पाली में ५५ लाख रुपये की लागत से २,२०० मकान बन रहे हैं।

राज्य बीमा योजना (State Insurance Scheme) के अन्तर्गत चिकित्सा संबंधी योजना राज्य के ७ नगरों व कस्बों में चालू की जा रही है जो १६,००० मजदूरों को लाभ पहुंचायेगी। अभ्रक खान मजदूर हितकारी कोष जिसमें भारत सरकार ने १० लाख ६५ हजार रुपये संचित रूप में अलग दिये हैं कायम किया गया है। प्रोविडेण्ट फण्ड योजना (Provident Fund Scheme) भी सन्तोष-जनक रूप से प्रगति कर रही है।

राजस्थान में काम दिलाऊ संस्थाएं जो अभी तक केन्द्रीय सरकार के अधीन थीं अब राज्य सरकार के अधीनता में आ जावेंगी। इस समय राजस्थान में ऐसी ६ संस्थाएं हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १७ नई संस्थाएं और खोली जायेंगी।

[श्रीमन् राजप्रमुख]

जिस प्रकार सरकार राज्य की आय में बढ़ावा देने वाले मुद्दों के विकास में प्रयत्नशील है उसी प्रकार जन-हितकारी कार्यों पर भी पूर्ण ध्यान दिया जा रहा है।

शिक्षा के संबंध में हमारा राज्य बहुत ही पिछड़ा हुआ था। सन् १९५१ में यह हालत थी कि हम निरक्षरता में सारे देश में हिमाचल प्रदेश को छोड़ कर दूसरे नम्बर पर थे। पर हम इस दशा में सुधार के लिये बराबर प्रयत्न करते रहे हैं। इस समय इस मद पर होने वाला हमारा खर्चा ४ करोड़ है जो हमारी आय का करीब बीस प्रतिशत होता है।

गत पांच वर्षों में शिक्षण संस्थाओं की संख्या में ही नहीं बल्कि शिक्षा की दशा में भी प्रगति व परिवर्तन किया है। जैसा कि मैंने आपको गत वर्ष बताया था सरकार ने बुनियादी शिक्षा नीति को अपना लिया है जिसके अनुसार बच्चों को हस्तकला की विशेष ट्रेनिंग दी जावेगी। १२ बेसिक ट्रेनिंग स्कूल व दो कालेज खुल चुके हैं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने इस वर्ष २५ बहुद्देशीय (Multi-Purpose) हाई स्कूल खोल दिये हैं और वर्तमान शिक्षण संस्थाओं में जो त्रुटियां और कमियां पाई गई उनको सुधारने का प्रयत्न बराबर जारी है।

राज्य सरकार राजस्थान में टेक्निकल शिक्षा (Technical Education) के विस्तार के लिए भी काफी प्रयत्न कर रही है। बांगड़ इंजीनियरिंग कालेज जोधपुर व मेडिकल कालेज जयपुर के विस्तार के लिये ७५ लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं। बीकानेर में पशु-चिकित्सा कालेज व उदयपुर में कृषि कालेज खोले जा चुके हैं। जोबनेर के कृषि कालेज को भी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। इस वर्ष सरकार करीब ६ लाख रुपया खर्च करके जोधपुर में पोलिटेक्निक (Poly-technic) की शुरूआत कर रही है और अखिल भारतीय एवं राजस्थान की प्रशासकीय सेवाओं (Administrative Services) के लिये उपयुक्त व्यक्ति तैयार किये जा सकें उस दृष्टि से इसी वर्ष जयपुर में एक राजस्थान कालेज शुरू किया जायेगा, जिसमें जहां तक संभव होगा सर्व श्रेष्ठ स्टाफ रखा जायगा और सर्व श्रेष्ठ विद्यार्थियों को ही भर्ती किया जायगा। इस कालेज पर आगामी वर्ष में १२ लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था रखी जायगी।

लड़कियों की शिक्षा के विकास की दृष्टि से जयपुर महारानी डिग्री कालेज को पोस्ट-ग्रेज्युएट कालेज में बदला जायेगा और लड़कियों के रहने के लिये होस्टल का भी निर्माण किया जायगा।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कई योजनायें कार्यान्वित की जा चुकी हैं जिसमें पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी देने व पुस्तकालयों के विस्तार की योजनायें उल्लेखनीय हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगभग ६ करोड़ रुपया रखा गया है जिससे बहुत सी नई योजनायें चालू की जायंगीं।

राज्य में ऑग्ज़ीलेरी केडेट कोर (Auxiliary Cadet Corps) की संख्या गत वर्ष के पचास

[श्रीमन् राजप्रमुख]

हजार से बढ़ कर अब ७०,००० हो गई है। जयपुर में एन. सी. सी. का एक हवाई दस्ता भी बनाया जा रहा है।

जन स्वास्थ्य कार्यों में विकास की ओर बराबर ध्यान दिया जा रहा है। जगह की मांग को देखते हुए कोटा में १५० रोग शय्याओं (Beds) का नया अस्पताल व उदयपुर में अस्पताल को ३०० रोग शय्याओं (Beds) व आवश्यक आधुनिक यन्त्रों से सुसज्जित कर 'ए' क्लास का बना दिया गया है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों पर इस वर्ष १० डिस्पेन्सरियां और ८ ऐड पोस्ट (Aid posts) खोले गये हैं। नर्स व दाइयों की शिक्षा के लिये कई नए केन्द्र खोले गये। राजस्थान मेडिकल एक्ट लागू किया जा चुका है और मेडिकल कौंसिल स्थपित की चुकी है। आगे नये चिकित्सालय, हैल्थ सेण्टर्स (Health Centres) और मौजूदा अस्पतालों के विस्तार और विकास की योजनायें सरकार ने बनाई हैं।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली में भी प्रगति की जा रही है। ७० नई आयुर्वेदिक डिस्पेन्सरीज़ इस वर्ष खोली गई हैं। एक नर्स व कम्पाउण्डरों का शिक्षण केन्द्र भी खोला गया है।

विकास की योजनाओं में पिछड़े वर्गों का कल्याण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सर्वाङ्गीण विकास के लिये समाज कल्याण विभाग द्वारा योजनायें कार्यान्वित की जाती हैं। शिक्षा में रुचि पैदा करने के लिये शालाओं एवं छात्रावास की व्यवस्था की जाती है जिनमें छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। जिन कृषक परिवारों के पास भूमि नहीं है उन्हें भूमि देने की व्यवस्था भी की गई है। राजकीय सेवाओं में स्थान सुरक्षित किये गये हैं। इस वर्ष चतुर्थश्रेणी में सुरक्षित स्थानों की संख्या ४० प्रतिशत कर दी गई है। अन्य सेवाओं में साढ़े बारह प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। स्वेच्छा सेवी संस्थाओं को सहायता भी दी जाती है।

अनुसूचित जातियों के लिये आर्थिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक हीनता प्रमुख समस्या है। इसको दूर करने के लिये राज्य में उचित वातावरण तैयार किया जा रहा है। अस्पृश्यता निवारण कानून (Removal of untouch-ability Act) बन जाने से इस तरफ महत्वशील प्रगति हुई है। हरिजन छात्रों को छात्रावास की सुविधा दी गई है एवं इन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।

घुमक्कड़ जातियों (Nomadic Tribes) को फिर से बसाने की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गत वर्ष हमारे प्रधान मंत्री ने गाड़ी लुहारों को चित्तौड़ के किले में प्रवेश कराया था। इनके परिवारों को बसाने के लिये योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसी तरह विमुक्त जातियों (Ex-Criminal Tribes) के लोगों का भी पुनर्संस्थापन किया जा रहा है। भील और सेरियाओं को आदर्श ग्रामों में बसाने के लिये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

राज्य के विभिन्न जिलों में समाज कल्याण (Social Welfare) के १० खण्डों में शिशु एवं

[श्रीमन् राजप्रमुख]

महिलाओं के कल्याण के लिये कार्य इस वर्ष प्रारंभ किया गया है। आगामी वर्ष में समाज कल्याण के कार्य क्षेत्र में अधिक विकास किया जायगा।

राजस्थान में करीब ४ लाख विस्थापित व्यक्ति स्थापित होते जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश अलवर, भरतपुर और गंगानगर के जिलों में कृषि भूमि पर बसे हुए हैं। इस वर्ष इनके लिये मकान और दुकान बनाने में २५ लाख रुपया खर्च किया गया है और अब तक कुल ६६,४५,७७२ रुपये औद्योगिक ऋण के रूप में दिया गया। अब तक कुल ७२,३५,१०५ रुपये की लागत से २,५६६ मकान और १७,३०,४०० रुपये की लागत से १,२३६ दुकानें बनाई गईं। निराश्रित महिलाओं और विधवाओं के लिये अलवर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, और उदयपुर में नारी शालाएं चलती हैं।

पिछले साम्प्रदायिक दंगों में अलवर और भरतपुर जिलों से जो मेव भाग गये थे उनमें से वापिस लौटे हुए लगभग १ लाख मेवों को उन्हीं अलवर और भरतपूर के जिलों में कृषि भूमि पर बसाया गया।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई सड़कों के निर्माण कार्य में इस वर्ष आशातीत प्रगति हुई है। अनुमान किया जाता है कि उक्त योजना के अन्तर्गत सड़कों पर इस वर्ष १६७ लाख रुपया व्यय हो जायेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजपथों (National Highways)अन्तर्राज्यीय तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों पर ७४ लाख रुपये खर्च हो जावेंगे, ऐसी आशा की जाती है। इस वर्ष में १,४०० मील सड़क का निर्माण संपूर्ण हो जावेगा।

द्वितीय योजना में सड़कों के लिये ८६६ लाख रुपये की निधि रखी गई है। ५० मील डामर की सड़क, १,८२० मील कंकर सड़क और ६७६ मील पथरीली सड़क नई बनाये जाने तथा १,२०० मील डामर की सड़क, ३२४ मील कंकर सड़क और ४४ मील पथरीली सड़कों में सुधार किये जाने का द्वितीय योजना में निश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त २८० लाख रुपये की योजना राष्ट्रीय राजपथों को सुधार कर अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है।

यह अनुमान किया गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों पर दुगुना खर्च किया जा सकेगा।

राजस्थान में बिजली के विकास के लिये तीन बड़ी योजनाएं चल रही हैं—भाखरा नांगल योजना (Bhakra Nangal Scheme), थर्मल पावर स्टेशनें (Thermal Power Stations) का विकास और ग्रामीण विद्युत योजना (Rural Electrification Scheme)। चंबल जल विद्युत योजना (Chambal Hydro—electric Scheme) शीघ्र ही राजस्थान विद्युत विभाग (Electrical Department) अपने हाथ में लेगा। भाखरा नांगल योजना के अन्तर्गत बिजली विभाग ने कई ट्रांसमिशन लाइनों का काम हाथ में ले लिया है जिनकी लम्बाई १४३ मील होगी।

Page No.10

[श्रीमन् राजप्रमुख]

स्वायत्त शासन में सुधार करने व स्वायत्त शासन संस्थाओं का सहयोग प्राप्त करने के हेतु सरकार ने एक स्वायत्त शासन सलाहकार संस्था बनाई है जिसमें नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों के अलावा गैर सरकारी मेम्बर भी हैं।

इसी संस्था की देख-रेख में स्वायत्त शासन (Local Self-Government) में डिप्लोमा (Diploma) की ट्रेनिंग के लिये राजस्थान में ही प्रबन्ध कर दिया गया है। नगरपालिकाओं (Municipalities) को बिजली व पानी इत्यादि की बड़ी बड़ी योजनाओं में मदद देने के लिये लगभग २० लाख रुपया इस वर्ष में कर्ज दिया गया।

साथ साथ गांवों में पानी पीने की व्यवस्था के लिये करीब करीब ७० लाख रुपया इस वर्ष सरकारी व गैर सरकारी व्यक्तियों की नामजदगी से बने जल-बोर्ड द्वारा खर्च किया गया। इस योजना से करीब पांच हजार जलाशय तैयार किये गये हैं।

जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वर्ष राजकीय कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक उपयोग पर पूरा ध्यान दिया जाता रहा है। सचिवालय के राजस्व विभाग व उस विभाग के अन्तर्गत अन्य विभागों को हिन्दी में काम करने की आज्ञा दी गई। रेवेन्यू बोर्ड में भी, सिवाय अदालती कार्यवाही के, सारा काम हिन्दी में करने का आदेश दिया गया। हिन्दी अन्य विभागों में जल्दी से जल्दी चालू की जा सके उसके लिये सरकार प्रयत्नशील है।

सचिवालय के कार्य में और भी अधिक प्रगति लाने के लिये एक नई शाखा ऑर्गेनाइजेशन एन्ड मैथड्स (Organisation and Methods) कायम की गई है जिससे सचिवालय के कार्य में और भी अधिक तेजी आती जा रही है। फिलहाल इस शाखा ने अपना काम सचिवालय तक ही सीमित रखा है पर धीरे धीरे इसकी कार्यपद्धति अन्य विभागों में भी विस्तृत की जायगी।

इस वर्ष जब पूरी जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम हुआ कि अब तक कई विभागों का एकीकरण नहीं हुआ है और उसके कारण वेतन निश्चित करने में व सीनियोरिटी (Seniority) तय करने में बाधायें हैं अतः इस काम को प्रमुखता दी जा रही है और आशा की जाती है कि अब यह कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो जायेगा।

सरकार ने इस वर्ष कई विभागों में जहां सत्ता अधिक केन्द्रित थी कार्य की सुगमता की दृष्टि से विकेन्द्रीकरण किया है।

राजस्थान में पेंशन के करीब ५,६५१ मामले कई वर्षों से चले आ रहे थे, इस वर्ष इनमें से ३,४६६ के फैसले कर दिये गये हैं। इससे रिटायर होने वाले कर्मचारियों को बहुत ही सन्तोष हुआ है।

श्रीमन् राजप्रमुख]

उपरोक्त बातों से स्पष्ट है कि विकास के इतने बड़े कार्य को संचालित करने के लिये ...र प्रशासन व्यवस्था में भी साथ साथ आवश्यक परिवर्तन कर रही है।

राजस्थान विधान सभा के समक्ष मुख्यतः राजस्थान म्युनिसिपेलिटीज़ बिल (The Rajasthan Municipalities Bill) और राजस्थान टीनेन्सी (अमेन्डमेन्ट) बिल (The Rajasthan Tenancy (Amendment) Bill) विचाराधीन है। सदन के इस सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले विधेयकों में राजस्थान नगर सुधार विधेयक (The Rajasthan Town Improvement Bill), राजस्थान हिन्दू पब्लिक ट्रस्ट विधेयक (The Rajasthan Hindu Public Trust Bill), राजस्थान सार्वजनिक उद्यान विधेयक (The Rajasthan Public Parks Bill) तथा राजस्थान लोक समाज बहिष्कार निरोधक विधेयक (The Rajasthan Prevention of Ex.Communication Bill) विशेष महत्व के तथा उल्लेखनीय हैं।

कस्टम्स विभाग के ३,०७१ सेवामुक्त (Surplus) कर्मचारियों में से लगभग सभी को ...यतानुसार अन्य विभागों में खपा देने का प्रशंसनीय कार्य हुआ है। राज्य सरकार आगामी वर्ष ...में शराबबन्दी की ओर कुछ क्रियात्मक कदम उठाने का इरादा रखती है।

राजकीय सेवाओं की वेतन दरों के रिविजन के प्रश्न पर भी सरकार काफी समय से विचार ...र रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि सरकार ने नये वेतन दर १ मार्च सन् १९५६ ...लागू करने का निश्चय किया है।

...भाषण समाप्त करने से पहिले मैं फिर कहना चाहता हूँ कि थोड़े ही समय में हम द्वितीय पंच...य योजना चालू कर रहे हैं जिससे काफी उन्नति होगी। यह सब काम सब लोगों की सहायता ...सब पार्टियों के सहयोग से ही पूरे हो सकेंगे। जनता के प्रतिनिधि होने के नाते आप पर खास ...मेदारियां हैं। मुझे आशा है कि गत वर्षों की तरह आपके विचार-विमर्ष जनता के कल्याण ...समृद्धि को हमेशा ध्यान में रखते हुये होंगे।

मेरी कामना है कि राजस्थान को हर ओर आगे बढ़ाने के कामों में आपको पूरी ...फलता मिले।

(करतल ध्वनि)

(४ बजकर ३४ मिनट पर श्रीमन् राजप्रमुख का अभिभाषण समाप्त हुआ। तत्पश्चात् सदन की बैठक ४ बजकर ४२ मिनट पर, दिनांक ६ मार्च, १९५६ के ८—३० प्रातः तक के लिये स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
...ांक-५ मार्च, १९५६

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।